



3

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के
तत्वाधान में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत
(अन्तर्गत धारा 19, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987)

दिनांक 12-03-2022

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर महानगर

याची/वादी/परिवादी का नाम : वशीलाल पुत्र श्रीराम
प्रतिवादी/प्रत्यर्धी का नाम : कौशलभादेवी पुत्री नारायणदास
न्यायालय/प्राधिकरण की कार्यवाही संख्या : न्यायालय अपील जिला कोलार (द्वितीय) जोधपुर
संख्या : रजिस्ट्रार अपील संख्या - 36/2021
ऋण खाता संख्या (यदि लागू हो तो) :
लोक अदालत अध्यक्ष का नाम : श्री टी.एच. शर्मा
सदस्यों का नाम 1. : श्री मदन लाल नेहा - आर.ए.एम.
2. :

-: अधिनिर्णय :-

दिनांक 12-03-2022

पक्षकारों के बीच विवाद लोक अदालत के अवधारण के लिये निर्दिष्ट किए गए हैं और पक्षकारों ने मामले/विषय पर समझौता/परिनिर्धारण पर लिया है, परिनिर्धारण के निबंधनों के अनुसार निम्नलिखित अधिनिर्णय पारित किया जाता है कि-

ग्राम नन्दसारा व वशील व जिला जोधपुर के भूमि खसम नम्बर 267 में बेचात किए गए 20वा 23 बीघा 08 बिन्वा 15 बिस्वांशी भूमि हेतु वशील व जोधपुर के अपील दिनांक 28-02-2005 व नामानुक्रम संख्या 483 ग्राम नन्दसारा में दिए आदेश में इए आपसी सहमति एवं शर्तनामा के अन्तर्गत अपील ग्राम नन्दसारा व वशील जोधपुर के भूमि खसम नम्बर 267 में बेचात किए गए 20वा 23 बीघा 08 बिन्वा 15 बिस्वांशी भूमि को लीमा तक निरस्त किया जाता है। उपरोक्त अपील का निस्तारण किया जाता है। वशील जोधपुर को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु आदेश को प्रति जायी है।

पक्षकारों को सूचित किया जाता है कि न्यायालय

की फीस, यदि कोई उनमें से किसी द्वारा संदत्त की गयी है, तो, वह वापस की जाएगी।